न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61/2024 (उदयपुर डिक्री)

रामलाल पिता श्री मोती डांगी, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मनीष सपरा पिता श्री ओमप्रकाश सपरा, निवासी तिरूपति विहार, पुंला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. विजय सपरा पिता श्री हरिश सपरा, निवासी शक्तिनगर, तहसील गिर्वा, हाल निवासी ''हरिसुमन'' मकान नंबर 1, देवी नगर, डागलियों की मगरी, न्यू नवरतन काम्प्लेक्स, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बड़गांव दि. 21.05.2024 प्रकरण संख्या 11/2019

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री पंकज भटनागर अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभि. रे. सं. 1, 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 08–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 1585 व 1586 कुल किता 2 रकबा 0.3450 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 7/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन विवेदन करते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन करवाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:39 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकिया कायम की जाकर दिनांक 27–03–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 21–05–2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गा सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 18–03–2024 नियत की गयी, किन्तु उसके नोटिस अपीलान्ट को तामिल नहीं हुए, न ही न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस जारी होने का कोई अंकन है। जबकि उक्त पत्रावली में मुसन्ना कायम होकर पेशी दिनांक 30–05–2023 नियत थी, जिस पर अपीलान्ट उपस्थित होता रहा है। दिनांक 18–04–2024 को आदेशिका में चुनाव कार्य में व्यस्त होने की सील लगी हुई है तथा दिनांक 27–03–2024 तक भी अपीलान्ट की कोई तामिल नहीं हुई है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। प्रारम्भिक डिक्री की अपील पेश कर दिये जाने के बावजूद न्याय प्राप्ति हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर दिनांक 21–05–2024 को अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने जानबूझकर विभाजन की प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:40:39 IST
Reason: SelfAttested

है तथा प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर तामिल कुनिन्दा के समक्ष सम्मन प्राप्त करने से इंकार किया है। इसके बाद तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु सम्यक रूप से बार–बार सूचना दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्ट द्वारा जिन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं, उन्हीं आधारों पर इनके द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील आप न्यायालय द्वारा दिनांक 14–07–2024 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर पारित अंतिम डिक्री भी निरस्त योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 16–04–2024 को तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किये गये, जो उसके मकान पर चस्पा किया गया तथा इसके पश्चात् दिनांक 01–05–2024 को पुनः तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसे अपीलान्ट ने लेने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन की उसे सम्मन जारी नहीं किये गये हैं, उचित प्रकट नहीं होता है। अपीलान्ट जानबूझकर न्यायालय द्वारा बार–बार सूचना दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 34/2024 न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 04–07–2024 को खारिज की जा चुकी है तथा अपीलान्ट ने पुनः उन्हीं आधारों को लेकर यह अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील की है, जो सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 21–05–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:39 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

रामलाल पिता श्री मोती डांगी, नि0 बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर	बनाम	**मनीष पिता श्री ओमप्रकाश सपरा, निवासी तिरूपति विहार, पुंला, तह. बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**61 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बड़गांव**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....21**.....माह.....**05**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**10**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री पंकज भटनागर**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दुर्गासिंह शक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 21–05–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**10**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:39 IST
Reason: SelfAttested